कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड– ।,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांक :– 3052 / पीएमजीएसवाई सिं0ख0– ।/ वनभूमि / ड्राईंग दिनांक :– 16 / 10 / 2020

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0
प्रथम तल पंचायती राज निदेशालय
आई0टी0 पार्क के सामने
देहरादून

विषय:– **जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी कोट घणातगांव होते हुए चांजी (पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत घनसाली अखोडी मोटर मार्ग किमी0 18 से सरूणा कोट चांजी मोटर मार्ग नाम से स्वीकृत है) तक विस्तारीकरण कार्य हेतु स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण कार्य हेतु 4.41 चहै0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UK/ROAD/38456/2019)**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्ततन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) देहरादून का पत्र संख्या –08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 43 / 2020 एफ0सी0 / 1561 दि0 29.09.2020 तथा अपर प्रमुख संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1094 / FP/UK/ROAD/38456/2019 दिनांक 09.10.2020**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी कोट घणातगांव होते हुए चांजी (पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत घनसाली अखोडी मोटर मार्ग किमी0 18 से सरूणा कोट चांजी मोटर मार्ग नाम से स्वीकृत) सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग के पत्र संख्या 837 / 12–1 नई टिहरी दिनांक 14.10.2020 द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 29,73,963.00 (उन्तीस लाख तिहत्तर हजार नौ सौ त्रेसठ रूपये मात्र) एवं एन0पी0वी0 हेतु रू0 37,26,450.00 (सैंतीस लीाख छब्बीस हजार चार सौ पचास रूपये मात्र) की मांग गयी है। (प्रति संलग्न)

अतः आपसे अनुरोध है कि कुल रूपये 67,00,413.00 (सढसट लाख चार सौ तेरह रूपये मात्र) का भुगतान सुसंगत खाते में कराने का कष्ट करें।

संलग्न – 1. सैद्धान्तिक स्वीकृति का पत्र।
2. प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि का मांग पत्र।

(डा0 संजय श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

पत्रांक :– / पीएमजीएसवाई सिं0ख0– ।/तद्दिनांक

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, वृत्त लो0नि0वि0, मसूरी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, नई टिहरी को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 837 /12-1 नई टिहरी, दिनांक– 14/10/ 2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0–1,
नई टिहरी।

विषयः– **जनपद–टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौरा, करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य हेतु स्टील गर्डर सेतु, सहित निर्माण कार्य हेतु 4.41 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/38456/2019)**

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) देहरादून का पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/43/2020/एफ0सी0/1361, दिनांकः–29–09–2020 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलानी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांकः–1094/FP/UK/ROAD/38456/2019, दिनांकः–09–10–2020।

महोदय,

जनपद–टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौरा, करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य हेतु स्टील गर्डर सेतु, सहित निर्माण कार्य हेतु 4.41 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्न प्रकार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः–

1– **शर्त सं0–01** के अनुसार वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।

2– **शर्त सं0–02** के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।

3– **शर्त सं0–03–प्रतिपूरक वनीकरण :–**

क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ग्राम–सरूणा सिविल खसरा नं0–783, 897, 881, 871, 2067, 2156 में प्रतिपूरक वनीकरण एवं दस वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) मु0–29,73,963.00 (उन्तीस लाख तिहत्तर हजार नौ सौ त्रेसठ रूपये मात्र) जमा की जायेगी। वनीकरण हेतु धनराशि की मांग का विस्तृत आंकलन निम्न प्रकार हैः–

<u>प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि के मांग का आंकलन</u>

1–प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल – 8.82 है0
2–वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित दर – 3,37,184.00 (तीन लाख सैन्तीस हजार एक सौ चौरासी)
3–प्रतिपूरक वनीकरण हेतु कुल धनराशि की मांग– 8.82 है0X3,37,184.00=29,73,962.88 या 29,73,963.00
(उन्तीस लाख तिहत्तर हजार नौ सौ त्रेसठ रूपये मात्र)

ख) प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि का हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत

क्रमशः – – 2 – –

विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि को कब्जे में लिए जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी का भूमि को कब्जे में लिये जाने का प्रमाण–पत्र अमल–दरामद मय नक्शा, खसरें के प्रस्तुत करना होगा।

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी प्रकार अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।

4. **शर्त सं0–04–शुद्ध वर्तमान मूल्यः–**

(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नम्बर 556, दिनांकः–30–10–2002, 01–08–2003, 28–03–2008, 24–04–2008 एवं 09–05–2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2), दिनांकः–18–09–2003, 5–2/2006–एफ0सी0, दिनांकः–03–10–2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांकः–05–02–2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार मु0–37,26,450.00 (सैन्तीस लाख छबीस हजार चार सौ पचास रूपये मात्र) की धनराशि 4.41 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) जमा करना होगा। शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धराशि की मांग का आंकलन निम्नप्रकार हैः–

<u>शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि का आंकलन</u>

1–ईको–क्लास श्रेणी – V
2–हरियाली का घनत्व– 0.6
3–एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रूपये– 8,45,000.00 (आठ लाख पैन्तालिस हजार रूपये मात्र)
4–आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल – 4.41 है0
5–कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि–4.41है0X8,45,000.00=37,26,450.00
(सैन्तीस लाख छबीस हजार चार सौ पचास रूपये मात्र)

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करना होगा, इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

5– **शर्त सं0–05** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 669 trees including 97 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

6– **शर्त सं0–06** के अनुपालन में State Govt. inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

7– **शर्त सं0–07** के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।

8– **शर्त सं0–08** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

9– **शर्त सं0–09** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

10– **शर्त सं0–10** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

11– **शर्त सं0–11** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।

12– **शर्त सं0–12** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।

क्रमशः — — 3 — —

13— शर्त सं0—13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

14— शर्त सं0—14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

15— शर्त सं0—15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।

16— शर्त सं0—16 के अनुपालन में इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

17— शर्त सं0—17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।

18— शर्त सं0—18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

19— शर्त सं0—19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या—11—42/2017—एफ0सी0 दिनांक—29—01—2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

20— शर्त सं0—20 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

21— शर्त सं0—21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।

22— शर्त सं0—22 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश/आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

23— शर्त सं0—23 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रिपोर्ट ई—पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

अतः भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

P.A.C-I
15/10/20
C.A.O.

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संख्या : / तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपिः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

PK/Word/demand Only 5_2020

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स--0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 43 / 2020 / एफ0सी0 / 1361 दिनांकः29 / 09 / 2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य हेतु स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण कार्य हेतु 4.41 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 380/x-3-20/1(51)/2020 दिनांक 18.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ Road/38456/2019 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनायें चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 19.09.2020 द्वारा ऑनलाईन प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार जनपद – टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य हेतु स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण कार्य हेतु 4.41 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरणः

   क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 8.82 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम सरूणा सिविल खसरा नं0 783,897,881,871,2067,2156 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

   ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

   ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. शुद्ध वर्तमान मूल्य

   (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.41 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

   (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 669 (including 97 saplings) वृक्षो से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

6. State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and, commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
8. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
9. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
11. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
14. संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
15. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।
16. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
21. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
23. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)